अति–आवश्यक

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2013–14/ 1431 दिनांक : 26-08-2013

समस्त जिला नोडल अधिकारी /प्राचार्य
राजकीय/निजी/तकनीकी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवश्यक दिशा–निर्देश।**

विषयान्तर्गत दिनांक 1–2 अगस्त 2013 को निदेशालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के संबंध में कतिपय बिन्दुओं के क्रम में प्रश्न उठाये गये थे, उन प्रश्नों पर राज्य सरकार स्तर पर निस्तारण करवाते हुए आपको निर्देश दिये जाते है कि निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को छात्रवृति स्वीकृत की जावें :–

1– 2012 में चयनित विद्यार्थी के किसी विषय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में Compartment आने तथा इसके बावजूद आगामी कक्षा में promote होने पर छात्रवृति स्वीकृति की प्रोविजनल कार्यवाही की जावे । यदि वह द्वितीय वर्ष की परीक्षा के साथ Compartment विषय उत्तीर्ण नहीं करें तो तृतीय वर्ष की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जावेगी । विद्यार्थी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें । पाठ्यक्रम के अन्त तक भी उत्तीर्ण नहीं होने पर प्रोविजनल रूप से दी गई छात्रवृति की वसूली भी की जा सकेगी ।

2– प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा आधार कार्ड बनवाने हेतु विशेष कैम्प आयोजित करवाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर्स से सम्पर्क कर कैम्प आयोजन की व्यवस्था शीघ्र करें तथा आधार कार्ड के अभाव में इस वर्ष छात्रवृति आवेदन पत्र लम्बित नहीं रखें जावें ।

3– प्रथम किश्त (3माहx500= 1500) स्वीकृत की जावें तथा द्वितीय किश्त (7माहx500=3500) का भुगतान छात्र द्वारा नियमित कक्षा में उपस्थित होने तथा विश्वविद्यालय का परीक्षा फार्म भरने पर ही किया जावे । इस समय तक विद्यार्थी द्वारा आधार कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

4– आधार कार्ड के अभाव में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अतिरिक्त यदि किसी अन्य योजना में छात्रवृति हेतु आवेदन किया जाता है तो अध्ययनरत् महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अपने स्तर पर जांच करते हुए एक ही छात्रवृति का आवेदन अग्रेषित करें । यदि इसमें किसी प्रकार की कौताही पाई जाती है तो वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

5– समस्त निजी/तकनीकी महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा 60 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी सूची जिला नोडल अधिकारियों को प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिससे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके ।

6– नूतन आवेदन पत्रों की अध्ययनरत् महाविद्यालयों में जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अगस्त तथा जिला नोडल अधिकारी के यहां जमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त प्रतिवर्ष की जाती है । नवीनीकरण आवेदनों की 20 सितम्बर महाविद्यालयो में एवं 25 सितम्बर जिला नोडल अधिकारी के यहां जमा कराने की तिथि निश्चित की जाती है। यदि 20 सितम्बर तक भी किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित नहीं किया जाता है तो गुणावगुण के आधार पर प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष प्रेषित कर निर्णय के उपरांत अंतिम तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

7– किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में विद्यार्थी का खाता होना अनिवार्य है । खाता खुलवाने हेतु प्राचार्य एवं विद्यार्थी द्वारा किसी भी पहचान का प्रयोग किया जा सकता है–जैसे– प्राचार्य द्वारा विद्यार्थी की पहचान स्वरूप जारी किये जाने वाला परिचय पत्र, वोटर आई–डी कार्ड, लाईसैंस, राशनकार्ड इत्यादि ।

8– निदेशालय द्वारा कतिपय् निजी महाविद्यालयों के वर्ष 2013–14 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये गये हैं । जिनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है । उन महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जावें।

(नवीन जैन)
निदेशक